माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

(National scheme of incentive to girls for secondary education)

1.	योजना का नाम	माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (National scheme of incentive to girls for secondary education)
2.	संक्षिप्त परिचय	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कस्तुरबा गांधी विद्यालयों से कक्षा 8 उर्तीण कर करने वाली बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन को प्रोत्साहित करना, और ड्रॉप आउट दर को कम करना है तथा 18 वर्ष आयु तक उन्हें विद्यालयों में बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ की गई केन्द्र प्रवर्तित योजना।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2008–09
4.	लाभान्वित वर्ग	1. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कक्षा 8 उर्तीण कर कक्षा 9 में प्रवेश लेने वालीं बालिकाएं 2. कस्तुरबा गांधी विद्यालयों से कक्षा 8 उर्तीण कर कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त वर्गो की बालिकाएं
5.	पात्रता	कक्षा 8 उर्तीण करने के पश्चात कक्षा 9 में राजकीय विद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़ कर) प्रवेश लेने वाली समस्त एस.सी. व एस.टी. की बालिकाएं तथा कस्तुरबा गांधी विद्यालयों से कक्षा 8 उर्तीण करने के पश्चात कक्षा 9 में राजकीय विद्यालयों प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाएं (सामान्य वर्ग की बालिकाओं सहित) पात्र होती है। इनकी आयु 16 वर्ष से कम हो। (आयु की गणना प्रत्येक 31 मार्च के अनुसार की जाती है) पूर्व में बालिका अविवाहित हो।
6.	देय सुविधा	इस योजना के तहत, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की पात्र बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में 3000 रूपए की राशि जमा की जाती है और वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर और 10वीं कक्षा उर्तीण कर लेने पर इसे ब्याज सहित निकालने की पात्र होती है।
7.	आवेदन का तरीका	संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाए जाते हैं
8.	आवेदन कहां किया जाए	संस्था प्रधान
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	जाति प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, भामशाह कार्ड व प्रार्थी का बैंक अकाउंट नम्बर मय आई.एफ.एस कोड
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला शिक्षा अधिकारी
11.	कार्य न होने पर शिकायत/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)/उपनिदेशक(माध्यमिक)/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। (शिकायत जिस स्तर पर पेडिंग हो उससे उच्चतर अधिकारी को)